

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2026/ 5685

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

दिनांक - 27/4/26

1 डालूराम पुत्र डूंगराराम जाति जाट निवासी रावतसर पश्चिम तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर।

1 गंगाराम पुत्र आईदानराम 2 चूनाराम पुत्र गोमाराम 3 तुलसाराम पुत्र मालाराम 4 देदाराम पुत्र आईदानराम 5 पेमी पत्नी गोमाराम 6 मांगीलाल पुत्र मालाराम 7 राऊराम पुत्र आईदानराम 8 राऊराम पुत्र कंवराराम 9 चुनी पुत्री नानगाराम 10 डाली पुत्री नानगाराम 11 तेजाराम पुत्र रामाराम 12 प्रकाश पुत्र नानगाराम 13 भारूराम 14 मोमताराम 15 रेखाराम पिसरान रामाराम 16 रूखी पुत्री नानगाराम 17 शेरू पत्नी नानगाराम 18 देवी पत्नी रणछोड़राम 19 देवीसिंह पुत्र जेहाराम 20 दिलीप चौधरी पुत्र रणछोड़ चौधरी 21 नारायणराम पुत्र जेहाराम 22 मूली पत्नी पुनमाराम 23 रमेश 24 रितु 25 विरधाराम 26 हरीश पिसरान रणछोड़ 27 धर्मराम 28 गोमाराम पिसरान जेहाराम जाति जाट निवासी रावतसर पश्चिम तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 763/2025 दिनांक- 10/3/26

संशोधित आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा रावतसर पश्चिम, पटवार हल्का रावतसर तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 1768/593 रकबा 4.5163 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी,

बाड़मेर

दिनांक- 27/4/26

क्रमांक :- रीडर/2026/ 5686 to 5689

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी रावतसर तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी डालूराम पुत्र डूंगराराम जाति जाट निवासी रावतसर पश्चिम तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण गंगाराम पुत्र आईदानराम जाति जाट निवासी रावतसर पश्चिम तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर